न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढबास जिला अलवर
दीवानी वाद सं0 83/2024
सुमरत बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सी.आई.एस. नं0 54/2023	
17.01.2025	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। प्रार्थी/वादी की ओर से दिनांक 10.12.2024 पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल का देहान्त दिनांक 14.08.2024 को हो गया है। चूंकि वादी तथा प्रतिवादी संख्या–1 अलग–अलग गांव के हैं जिस कारण वादी को दिनांक 25.11.2024 को प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिस कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने में विलम्ब हुआ है। प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कन्हैयालाल को मृतक दर्ज करते हुए उसके वारिसान क्रम सं0 1/1 रामदेई पत्नी कन्हैयालाल, 1/2 विजयसिंह पुत्र कन्हैयालाल, 1/3 राजन्ती, 1/4 सरला, 1/5 राजवती, 1/6 राजबाला व 1/7 रेनो पुत्रीयान कन्हैयालाल को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 14.08.2024 को होना एवं प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना वादी को दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त होना और उसके तुरन्त बाद ही वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2024 को पेश किया जाना बताया है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 25.11.2024 को हुई है और उसके पश्चात उसके द्वारा दिनांक 10.12.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है।	

	इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र को देरी से प्रस्तुत किये जाने के आधार उचित एवं सद्भाविक होना माने जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे कन्डोन किया जाता है एवं वाद के स्वतः ही हुए उपसमन आदेश को अपास्त कर प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल के वारिसान 1/1 लगायत 1/7 को कायम मुकाम प्रतिस्थापित किया जाता है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल के नाम के आगे मृतक ''दौराने वाद'' अंकित कर संशोधित टाईटल पेश किया जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित टाईटल दिनांक..... को पेश हो।	